प्रेस विज्ञप्ति

27.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने 26 अप्रैल, 2025 को जयपुर, राजस्थान में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, उनके निदेशकों व अन्य से जुड़ी चल रही जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएफसी, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत मेसर्स पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। वे निवेशकों को धोखा देने के लिए फर्जी निवेश योजनाओं के संचालन में शामिल थे। इन योजनाओं के माध्यम से पीएसीएल और उसके निदेशकों ने निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय एनएस भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह को ईडी ने 21.03.2025 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

तलाशी के दौरान पता चला कि श्रवण सिंह चौहान, इंद्र सिंह और उनके सहयोगी 2017 से मेसर्स पीएसीएल की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और इस तरह से एक वाणिज्यिक उद्यम चला रहे हैं, जिससे अवैध राजस्व उत्पन्न हो रहा है और पीएसीएल लिमिटेड धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की आय (पीओसी) का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे देश भर के निवेशक प्रभावित हुए हैं। अवैध कब्जा करने वाले के पास से अपराध-संकेती डिजिटल साक्ष्य और लग्जरी कार बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया।

ईडी की तलाशी पीओसी के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है और धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय की

प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उचित आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

आगे की जांच जारी है।

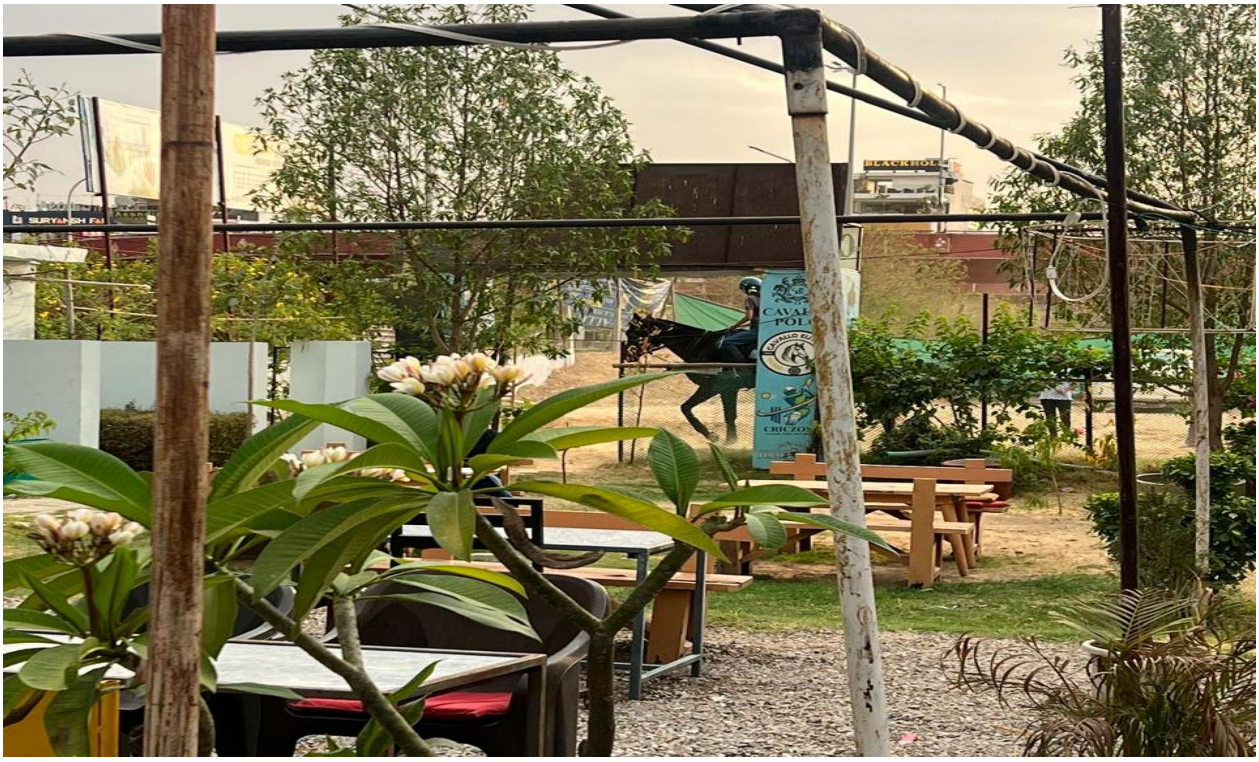

Radisson
Days Hotels
CRICZONE